



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना मऊदरवाजा





मिशन शक्ति 5.0



थाना मेरापुर





मिशन शक्ति 5.0



थाना राजेपुर





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना नवाबगंज



#MissionShakti



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



महिला थाना



#MissionShakti



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



कोतवाली कायमगंज



#MissionShakti



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना कंपिल



#MissionShakti



मिशन शक्ति 5.0



थाना जहानगंज





मिशन शक्ति 5.0



कोतवाली फतेहगढ़





मिशन शक्ति 5.0



कोतवाली मोहम्मदाबाद





मिशन शक्ति 5.0



थाना कमालगंज





नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

फतेहगढ़ पुलिस

* मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण *



#OperationConviction

दिनांक-26.05.2026

थाना कम्पिल

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनक्विशन” अभियान व “ मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण ” के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त विशाल पुत्र बाबर खाँ निवासी मोहल्ला आजाद नगर थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ मु0अ0स0- 42/2022 वाद संख्या 63/2022 धारा 376/511 भादवि व 18 पॉक्सो एक्ट थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा0 न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट द्वारा दिनांक 26.05.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 50000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री तेज सिंह



एडीजीसी - श्री विकास कटियार



को0 मो0 म0 का0 प्राची



पैरोकार - हे0का0 अमन

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली कायमगंज

दि-26.05.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. फैसल पुत्र बौरै खाँ 2. माजिद उर्फ सामिर पुत्र बाबू खाँ 3. लला उर्फ लंगड़ा उर्फ अब्दुल रहमान पुत्र मुल्तान खाँ निवासी पपड़ी खुर्द बुजुर्ग कोतवाली कायमगंज जनपद फरुखाबाद के विरुद्ध - 211/2017 वाद संख्या 34/17 धारा 354/506 भा०द०वि० व 3(1) ब एससी/एसटी एक्ट कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहररि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय एडीजे - द्वितीय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट द्वारा दिनांक 26.05.2026 को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 04-04 वर्ष के कारावास की सजा व 16000-16000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री के०के० पाण्डेय



एडीजीसी - अनुज कटियार



को० मो० - हे०का० प्रमोद कुमार



पैरोकार - का० विवेक कुमार

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मऊदरवाजा

दि-26.05.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1.छोटे जाटव पुत्र बुद्धा निवासी लालगेट थाना कोत० फर्रुखाबाद 2.निहाल सिंह पुत्र टीकाराम 3.रघुवीर पुत्र राधेश्याम 4.नवरतन पुत्र ऊधन 5.जितेन्द्र पुत्र गिरीश चन्द्र 6.प्रीस पुत्र सोनेलाल 7.दुर्गेश पुत्र जीवालाल 8.सत्यवीर पुत्र खुशीलाल 9.सुधीर पुत्र राजेन्द्र निवासीगण बरनैया थाना जहानगंज फर्रुखाबाद विरुद्ध मु०अ०स०- 643/2002 वाद संख्या 4/2003 धारा 394/411/504/506/225/332/353 भा०द०वि० थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय एडीजे - तृतीय कोर्ट द्वारा दिनांक 26.05.2026 को दोषसिद्ध कर अभि० छोटे जाटव को 05 वर्ष के कारावास की सजा व अभियु० गण निहाल सिंह आदि 08 नफर को 02-02 वर्ष का कारावास व सभी अभियुक्तगण को 2000-2000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री अनुज प्रताप



एडीजीसी - श्री हरिनाथ सिंह



को० मो० - हे०का० हरवेन्द्र सिंह



पैरोकार - का० गुलाम गौस